संस्था के विधान के अनुसार निम्न प्रथम कार्यकारिणी सभा को संस्था के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

क्र० स०	नाम	पिता का नाम	पूरा पता	उम्र	व्यवसाय	पदनाम	फोटो
1.	अमरेन्द्र सिंह खारा	श्री जसपाल सिंह	सीवन	37	व्यवसाय	प्रधान	
2.	विवेक गोयल	श्री सुरेन्द्र कुमार	सीवन	30	व्यवसाय	सचिव	
3.	पवन कुमार	श्री नीलकण्ठ	सीवन	37	प्राईवेट जोब	उपप्रधान	
4.	अंकुश गुप्ता	श्री सुरेन्द्र कुमार	सीवन	32	व्यवसाय	कोषाध्यक्ष	
5.	ऋषिकेश	श्री नाथी राम	सीवन	68	समाज सेवी	मेम्बर	
6.	सुरेन्द्र कुमार	मदन गोपाल	सीवन	61	व्यवसाय	मैम्बर	
7.	अन्जू बाला	पत्नी श्री पवन कुमार	सीवन	34	गृहिणी	मैम्बर	

हम अधोहस्ताक्षरी जिनके नाम व पते नीचे दिए गए है, हरियाणा सौसायटीज रजिस्टरीकरण व विनियमन अधिनियम 2012 के अंतर्गत संस्था का पंजीकरण करवाना चाहते है तथा इस ज्ञापन पत्र के अनुसरण में अपने हस्ताक्षर/अंगूठे अंकित करते है: कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा

A.S. KHARA
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Pawan
Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

DALBIR SINGH
ADVOCATE
E.No.P/690/2006
KAITHAL

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

क्रम संख्या	विषय	वर्णन
1.	संस्था का नाम	बाबा नागा जी एजुकेशन सोसाइटी
2.	संस्था का कार्यालय	फिरोजपुर रोड, गाँव सीवन, जिला कैथल
3.	अधिकारिता	संस्था हरियाणा राज्य के जिला कैथल में मुख्य रूप से कार्यरत रहेगी
4.	संस्था का लक्ष्य व् उद्देश्य	उद्देश्य जो किसी संस्था के लिए विशेष है नीचे वर्णित किये जायेंगे कुछ उपदर्शित उद्देश्य निम्नानुसार होंगे
1.	राष्ट्रीय एकता व् अन्तराष्ट्रीय शांति को बढावा देना	
2.	शिक्षा का प्रचार व् प्रसार करना	
3.	शिक्षा को समाज के निम्न से निम्न स्तर तक पहुँचाना	
4-	लोगों को गिरते नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना.	
5.	शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना तथा समाज के निम्न से निम्न स्तर तक अच्छी शिक्षा का प्रचार व् प्रसार करना है.	

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana — GOVT. OF HARYANA

A.S. KHARB
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Pawan
Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Soci
Siwan (Kaithal)

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न कदम उठाये गए

शिक्षा के प्रचार व् प्रसार के लिए एक संस्था को बनाने का विचार किया गया .

उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा संस्था के पंजीकरण करवाने के लिए 3 नामो का सुझाव दिया गया जो निम्न हैं

सीवन एजुकेशन सोसाइटी

बाबा नागा जी एजुकेशन सोसाइटी

P K R एजुकेशन सोसाइटी

उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा संस्था का नाम स्वीकृत व् संस्था को पंजीकृत करवाने के लिए श्री विवेक गोयल

को नामित किया गया है

A. S. KHARA
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Pawan
Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

संस्था का संविधान

1. संस्था का नाम : बाबा नागा जी एजूकेशन सोसाईटी

फरोजपुर रोड़ सीवन जिला कैथल

सभा का पंजीकृति कार्यालय : बाबा नागा जी एजूकेशन सोसाईटी फिरोजपुर

रोड़ सीवन जिला कैथल

कार्यक्षेत्र : जिला कैथल।

2. सदस्यता

1. सोसाईटी में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 250 सदस्य होंगे।

2. पात्रताः सोसाईटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्तिः–

(i) प्रवेश की तिथि 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

(ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्य में अंशदान करना चाहिए।

(iii) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नही होने चाहिए।

(iv) दिवालिया तथा विकृत चित्त नही होने चाहिए।

(v) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्दोष नही होना चाहिए।

सदस्यों के प्रकार व किसम व प्रवर्गः–

सोसाइटी निम्न अनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गों की होगी।

1. संस्थापक सदस्य–सदस्य जो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसाइटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या 7 है। संस्थापक सदस्य सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाऐगे। तथा यदि सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक होगी तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेगे।

2. आजीवन सदस्यः– किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन ने सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है ता ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसाइटी के सदस्य के रुप में बना रहेगा। आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 50 से अधिक नही होगी।

A. S. KHARB
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

District Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
हरियाणा सरकार
GOVT. OF HARYANA

3. साधारण सदस्य– सोसाइटी में कुल 50 साधारण सदस्य होंगे जो उनकी वार्षिक अशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्याता का निरन्तर उपभोग करेंगे। साधारण सदस्य को पदावधि सदस्य के रूप में अर्थात दो से पांच वर्ष (वर्षों) जैसी भी स्थिति हो की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि के पूरा होने पर सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त जबतक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इसे नवीकृत नही किया जाता है।

4. अवैतनिक सदस्य:– शासकिय निकाए विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसाइटी के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसने सोसाइटी के लिए उत्कृष्ट मैरिट की सेवाए अर्पित की है या तो सोसाइटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता या अंशदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है। ऐस अवैतनिक सदस्यों की सख्या 6 से अधिक नही होगी। अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में सहायक होंगे किन्तु उन्हे मत का अधिकार नही होगा।

5. **सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान:–**

(1) सोसायटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगा।

जो सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों में निर्णत किए जाए।			
कम स0	सदस्य की किस्म	प्रवेश फीस	वार्षिक अंशदान
1.	संस्थापक सदस्य	1100/-	शुन्य
2.	आजीवन सदस्य	500/-	शुन्य
3.	साधारण सदस्य	300/-	300/-
4.	अवैतनिक सदस्य	शुन्य	शुन्य

(2) सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा जो ऐसे वर्ष के जून के 30वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकात है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देह तिथि 30 जून के बाद निलम्बित रूप में समझी जाएगी। तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोसाइटी के निर्वाचनों में अपना मत डालने के हकदार नही होंगे।

A. S. KHARB
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Distt. Registrar of Societies
GOVT. OF HARYANA
Department of Industries & Commerce, Haryana

वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रद्द किया जा सकता है। तथापि वह बाकि के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नही होगा।

(3) **प्रवेश प्रकिया–** अंशदान से अन्यथा सदस्यों के लिए।

(i) सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय–समय पर इसके शासकिय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाऐगा।

(ii) सोसाइटी के सदस्यों के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्ररूप में तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसाइटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव को समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(iii) सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।

(iv) शासकीय निकाय आवेदन को स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतु बाध्य नही होगा।

(v) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा उसका नाम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम 2012 के अधीन तथा विहित ऐसी रिति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसाइटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(4) **प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र–** सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य के सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त ब्यौरे तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(5) **सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताए:–**

(i) सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में तथा अन्तर्विष्ट तथा समय–समय पर संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे।

(ii) अवनैतिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूककर्ता नही है।

(iii) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसाइटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यकारिणी के कार्यवृत वाली पुस्तकों शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरिक्षण करने का अधिकार होगा।

(iv) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा जो सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत अभिलिखित किया जाएगा तथा इसके बाद सोसाइटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी।

(6) **सदस्यता की समाप्ति:–** सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसाइटी के सदस्य के रूप में नही रहेगा:–

(i) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकृर्षि करने।

(ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उददेश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर।

(iii) ऐसे सदस्य के सोसाइटी की निधियो का वित्तीय गबन का दोषी पाने पर।

(iv) सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महारजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर।

District Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

A. S. KHARB
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

(v) अवैतनिक सदस्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है।

(7) **सामान्य निकायः—**

(i) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसाइटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसाइटी के किन्ही देयों के भुगतान के बकायों में नही रहता है।

(ii) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नही किया जाएगा।

(8) **सामान्य निकाय की बैठकें:—**

(i) सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी तथापि सोसाइटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम) यथा आपेक्षित सोसाइटी के किसी अन्य कारोबार के व्यवहार के अतिरिक्त सोसाइटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्तवर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।

(ii) सोसाइटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वय या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारण सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन तथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसाइटी के सामान्य निकाय की असाधरण बैठक बुला सकता है।

(iii) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किये जाने वाले कारोबार के एजेडें की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।

(iv) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हो, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

(v) सामान्य बैठके के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के (अ) लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए अधिकतम तीन के अध्यधीन, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नही होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारोबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसाइटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

(vi) सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाही सचिव द्वारा प्रयावान के लिए अलग रूप से रखी गई कार्य वृत पुस्तक (बंधी गई या खुल्ले पन्नों में) में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्य वृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएगें।

(9) **सामान्य निकाय की शक्तियॉं, कृत्य तथा कर्तव्यः—**

A.S. KHARA
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

(i) सोसाइटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना।

(ii) पॉलिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसाइटी के नाम परिवर्तन सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसाइटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसाइटी इत्यादि की अचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम 2012 के अधीन अपेक्षित हो।

(iii) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना।

(iv) शासकीय निकाय के किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

(10) **शासकीय निकायः–**

(i) संयोजनः सोसाइटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 7 पदाधिकारीयों तथा सदस्यों का होगा।

(क) प्रधान

(ख) उपप्रधान

(ग) महासचिव/सचिव

(घ) खंजाची

(च) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित तीन कार्यकारी सदस्य

(2) **शासकीय निकाय का निर्वाचनः–**

(i) शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

(ii) शासकीय निकाय निर्वाचन को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटनिंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय की तिथि, समय तथा रिति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करवाने के लिए भेजेगा। यदि वह ऐसी इच्छा करे।

(iii) मत के लिए हकदार सोसाइटी के सदस्यों की सूची का रूप में किसी आक्षेप का सोसाइटी के पदाधिकारीयों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की दशा में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारीयों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए [illegible] आमंत्रित करेगा।

(iv) रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वंय तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसाइटी द्वारा पहचान पत्र भी प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञान किया जाएगा।

A. S. KHARB
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

(v) मतदान की तिथि समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी का शासकीय निकाय, गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारीयों तथा कार्यकारी सदस्यों के सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अनुमोदन करेगा।

(3) **शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरना:-**

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसाइटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तथा तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से यदि अपेक्षित हो शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा। यदि उसकी नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नही की जाती है।

(4) **शासकीय निकाय की बैठक**

(i) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कत चार बैठक होगी।

(ii) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारीयों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि, शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी अपेक्षित हो लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

(iii) शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विधमान नही है तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(iv) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहीयाँ इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएगें। यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नही है तो शासकीय निकाय द्वारा तथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्ही दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगें।

(5) **शासकीय निकाय की शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य:-**

(i) शासकीय निकाय सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसाइटी ... हितार्थ कार्य करेगा जिसके लिए इसें कथित उददेश्यों के लिए सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पतियों के ... के लिए सशक्त किया जाएगा।

(ii) शासकीय निकाय इस द्वारा तथा निर्णीत इसके नाम से निधियाँ उठाने तथा पूर्ण स्वामित्व या पटटा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के लिए सक्षम होगा।

A.S. KHARA
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

(iii) शासकीय निकाय सोसाइटी से सम्बन्धित या इसमें निहित सभी अचल सम्पतियों तथा चल परिसम्पतियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रिति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसाइटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अधीन उचित समझे।

(iv) शासकीय निकाय रिति जो वह सोसाइटी के सर्वोतम हित में उचित समझे में निधियाँ प्रवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रिति में सोसाईटी की ओर से सम्पतियाँ उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा।

(v) ऐसो कृत्यों जो समय–समय पर सौंपे जाए की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियाँ गठित करना।

(vi) सीवनिहीन रिति में लिपिकीय, लेखा तथा कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसाइटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना।

(viii) बाहरी स्त्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात सोसाइटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधिया।

(6) **शासकीय निकाय के व्यक्ति सदस्यों की शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य**

(i) प्रधान

(क) सामान्य निकाय की तथा शासकीया निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहीयों नियन्त्रित करना।

(ख) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय–समय पर सामान्य निकाया तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(ग) किसी मामेले पर विचार विर्मश को अवज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है।

(घ) सोसाइटी/शासकीया निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य सुनिश्चित करना।

(ङ) हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना।

(च) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उददेश्यों की सम्पूर्ण गतिविधिय/ उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना।

(ii) उप प्रधान

(क) प्रधान की उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

(ख) प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पुरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

(ग) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(iii) महासचिव/सचिव:–

(क) सोसाइटी के सभी कार्यों को करना संगठित करना, पद्यवेक्षण तथा प्रबन्ध कना तथा सोसाइटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाएं।

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

A. S. KHARB
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

(ख) शासकीय निकाय के सम्मुख सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधार के अधीन सदस्यों के रजिस्टरी में यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गय सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना।

(ग) प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन तथा विहित उचित नोटिस शामिल करना।

(घ) सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठकें करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों की कार्यवाहीयों का रिकार्ड करना।

(ङ) सोसाइटी की वार्षिक रिर्पोट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसाइटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना।

(च) सोसाइटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिरक्षण करना।

(छ) सोसाइटी के सम्पूर्ण कार्यो की देखभाल करने में तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना।

(ज) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन विहित किए जाए।

(झ) सोसाइटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसा जहां कहीं आपेक्षित हो, उसे लगाना।

(ञ) सोसाइटी/शासकीय निकाय की और से पत्राचार करना तथा उसकी और से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखो तथा अनुरक्षित किये जा रहे है।

(ट) निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अघतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।

(ठ) सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें दो पदों का सृजन वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन अमले की नियुक्तियों करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की और से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐस काम करना जो समय–समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हो तथा जंहा कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसाइटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नही किया जाता है।

(ड) प्रधान, उपप्रधान, सचिव के द्वारा सयुक्त रूप से लिया गया निर्ण अंतिम होगा इसमें सस्था के सभी कार्य सम्मिलित है।

(iv) खजाची:–

(क) सोसाइटी के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशिओं के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों में सम्बन्धित, तथा परिसम्पत्ति, जमा तथा दायित्वों को प्राप्तियों तथा खर्चों के रिकार्ड रखना।

A. S. Kharab
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

[signature]
Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

District Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana — GOVT. OF HARYANA

(ख) प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टड लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित सोसाइटी के लेखे प्राप्त करना।

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसाइटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महासचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तु करना।

(घ) सोसाइटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तको, व्यय वाउँचरों बैंक पास बुक तथा चैंक बुक, नकदी इत्यादी के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

(7) शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति– शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नही रहेगें।

(क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर।

(ख) यदि वह इन उपविधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है।

(ग) यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वार हटाया जाता है।

(8) सोसाइटी के नियोजन से अपवर्जनः-

(क) सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी से पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नही रहेगा।

(ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारीयों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में नही लगाया जाएगा।

(ग) शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषण करेगा यदि सोसाइटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसक निकट सम्बन्धी है।

9. सोसाइटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों, नाम इत्यादि में संशोधन– सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भतीर महा सचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर की जाऐगी जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

10. **सोसाइटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धनः-**

(i) सोसाइटी की आय के स्त्रोतो में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श, दान, उपहार अनुदान इत्यादि के मदें प्राप्तियों शामिल होगी। सोसाइटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्जे [illegible] ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियाँ ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति [illegible] खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्हीं परिस्थितयों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।

District Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

(ii) शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसाइटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।

A.S. KHARB
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

(iii) सोसाइटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारीयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाऐगे जो समय-समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए।

(iv) सभी परिसम्पति तथा निधिया सोसाइटी से सम्बन्धित होगी तथा सोसाइटी में निहित होगी।

(अ) सोसाइटी की सभी प्राप्तियों तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम में किये जाएगे (अर्थात डी.डी./पे.आर्डर/चैक/बैंक ट्रास्फर/आर.टी.जी.एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की और सभी प्राप्तियाँ शामिल है। तथापि शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाए अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है।

11. **सोसाइटी के लेखें:-**

(i) सोसाइटी का खजाची कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन तथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात रोकड बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसाइटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चाटर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ii) सोसाइटी की लेखा पुस्तके सोसाइटी के महा रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरिक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

(iii) सोसाइटी के वार्षिक लेखे सोसाइटी के किसी दो प्राधिकर्ता पदाधिकारीयों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाऐगें।

(iv) शासकीय निकाय ऐसे परिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वितवर्ष के लिए सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरिणी को दायर करने के लिए चाटर्ड लेखकार को नियुक्त करेग जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नही होगा।

प्रधान	उपप्रधान	सचिव
A. S. KHARB		VIVEK GOEL
President	Vice President	Secretary
Baba Naga Ji Education Society	Baba Naga Ji Education Society	Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)	Siwan (Kaithal)	Siwan (Kaithal)

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana
GOVT. OF HARYANA

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	फोटोग्राफ
1.	अमरेन्द्र सिंह खारा	श्री जसपाल	प्रधान	A. S. KHARA	
2.	विवेक गोयल	श्री सुरेन्द्र कुमार	सचिव	VIVEK GOEL	
3.	पवन कुमार	श्री नीलकठं	उपप्रधान	Pawan	
4.	अंकुश गुप्ता	श्री सुरेन्द्रं कुमार	कोषाध्यक्ष	Ankush Gupta	
5.	ऋषिकेश	श्री नाथी नाम	मैम्बर	Rishikesh Sharma	
6.	सुरेन्द्र कुमार	मदन गोपाल	मैम्बर	Surender Kumar	
7.	अंजू बाला	श्री पवन कुमार	मैम्बर	ANJU Bala	

I identify the persons signed herein. They have signed in my presence.

DALBIR SINGH ADVOCATE E.No.P/690/2009 KAITHAL

A.S. KHARA
President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

VIVEK GOEL
Secretary
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Pawan
Vice President
Baba Naga Ji Education Society
Siwan (Kaithal)

Dept. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana — GOVT. OF HARYANA